प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक– शिविर/ 1132-44 /उ.ज.स.शि.को./2014–15 दिनांक20मई, 2014

विषय : उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को सहायता/अनुदान हेतु विद्यालयों से प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 27/XXIV-5/2012 देहरादून दिनांक 13.05.2013 द्वारा राज्य में जन सहयोग के माध्यम से शिक्षा के समग्र विकास हेतु विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण तथा गरीब एवं मेधावी छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने, छात्रवृत्ति संचालन तथा विशेष विद्यालयों यथा आवासीय विद्यालय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय अथवा हास्टल सुविधा का सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना–2013 प्रारम्भ की गयी है।

शासी निकाय के अध्यक्ष मा0 मंत्री जी विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में शासी निकाय की बैठक कम से कम वर्ष में दो बार होगी। शासी निकाय द्वारा विद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विद्यालय की आवश्यकता/प्राथमिकता के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा। दानदाताओं द्वारा इंगित विद्यालयों के सन्दर्भ में विद्यालयों को उसी रूप में शासी निकाय के अनुमोदन से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। कोष का उपयोग राजकीय विद्यालयों के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण, खेल मैदान/क्रीड़ा स्थल, काष्ठोपकरण, वाचनालय कक्ष, विज्ञान प्रयोगशालाकक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण, कक्षा कक्ष, बहुद्देशीय हाल, एम0डी0एम0 एवं उनके गुण/मूल्यवर्धन हेतु बर्तन, गैस की व्यवस्था हेतु किये जाने का प्राविधान है।

अतः आप अपने जनपद के विद्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से कोष द्वारा शासनादेश में उल्लिखित धनराशि की सीमान्तर्गत सहायता/अनुदान प्राप्त करने हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आगणन सहित प्राप्त कर अपनी संस्तुति के साथ विद्यालयों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए महानिदेशालय को 30 जून, 2014 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि शासी निकाय की आगामी बैठक में प्राप्त प्रस्तावों पर यथा समय अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

संलग्नक–शासनादेश की छायाप्रति।

भवदीय

(राधिका झा)
महानिदेशक
महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा